

चन्दमान बनाम खलका

सं. 136 L.R.A.C. नं. 1-6 सन् 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/18	<p>फावनी जरीय विहान अधिवक्ता पेस (रिपोर्ट खरीफा) देली गरी (खलका) उर्ज रजिठ हो। कप्रागी को लम्न गरी कट रिठ 18/15/18 को केस जुल्मी पर पेस हो।</p>	
18/18	<p>फावनी कोण खलका कोण अदालत केस जुल्मी पर पेस। फल सफार केस। शाठ काठ हो।</p> <p>फावनी का सम्पद कप्रागीन किया गया। फल पर विचार किया गया। प्रागी डारा जरीय रीजल्ट्स सेक डीड खलका कुमा के नाम से ही इमि जुम की है।</p> <p>उतिपक्षी डारा प्रागी के हितों के विपरीत प्रागी के खलका अधिवक्ता में ऐसी कोई अति कारि नरी की है, जिससे प्रागी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो या</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तारीख में जारी हुआ है
	<p> सिध 136 L.R. Act के अंतर्गत प्रावधानों के तहत ली किया जा रहा जागीर का प्रारम्भ का 136 L.R. Act - 1956 के तहत गवर्नर ली होता है। जागीर चार्ज की कुकर्मों के अनुलोष हेतु प्रथम से नियमित वाद प्रेष करने हेतु प्रारम्भ की अतः प्रा० का जागीर खोज किया जाता है। फावनी फिल्टर सुमाट होकर बाद जागीर लफाही व जागीर सारिल दफ्तर हो। बुध </p>	